मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग

निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल,

58 अरेरा हिल्स, भोपाल– 462 011

<u>अपील क्रमांक ए–165/रासूआ/18–1/2006/होशंगाबाद</u>

श्री गोविंद प्रसाद अग्रवाल, **अपीलकर्ता**
सचिव, नगर संयुक्त व्यापारी संघ,
निवासी बाबई, तहसील बाबई,
जिला –होशंगाबाद ।

विरूद्ध

थाना प्रभारी, **लोक सूचना अधिकारी**
बाबई जिला होशंगाबाद ।

(आदेश दिनांक 18.7.2006)

श्री गोविंद प्रसाद अग्रवाल ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत की है । अपीलकर्ता का यह कहना है कि उन्होंने एक आवेदन–पत्र दिनांक 20 जनवरी 2006 को पुलिस थाना,बाबई में निम्न विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए दिया था :–

> सार्वजनिक कुआं नं0 97/205 पर केस नं0 बी 121/2004 दिनांक 29.9.2004 को तहसील कार्यालय बाबई स्थगन आदेश दिया था । एक प्रति थाना बाबई में दी, के बाद रमेश कुमार अग्रवाल,गोकुल प्रसाद अग्रवाल,शिवप्रसाद अग्रवाल,बाबई ने कुआं पर बोर किया, पुलिस द्वारा आज तक क्या कार्यवाही की गई । (सार्वजनिक कुआ है कीमत जमीन की लाखों में है, घर उपयोग के लिए जेट पंप मोटर फिट की है,न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया है एवं अतिक्रमण है ।

जानकारी न मिलने पर उन्होंने एक अपील दिनांक 27 फरवरी 2006 को अपील अधिकारी होशंगाबाद को प्रस्तुत की थी, लेकिन इस अपील के बाद उन्हें न तो कोई जानकारी मिली न इस संबंध में अपील अधिकारी ने कोई आदेश पारित किया ।

2. इस विषय पर लोक सूचना अधिकारी एवं अपील अधिकारी से प्रतिवेदन मांगा गया था । अपील अधिकारी की ओर से यह प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है कि थाना बाबई के वर्ष 2004 के बाद से अभी तक के रिकार्ड का अवलोकन किया गया पर इसमें अभी तक गोविंद प्रसाद अग्रवाल, मेन रोड, बाबई के द्वारा प्रस्तुत अनावेदक श्री रमेश कुमार,

गोकुल प्रसाद अग्रवाल के विरूद्ध सार्वजनिक कुएं में अतिक्रमण करने के संबंध में कोई आवेदन–पत्र प्राप्त होना नहीं पाया जाता ।

3. यह प्रकरण दिनांक 17 जुलाई 2006 को प्रातः 11.00 बजे सुनवाई के लिए भोपाल में रखा गया था । थाना बाबई इंचार्ज श्री आर.के.बिसारे एवं प्रभारी,पुलिस अधीक्षक श्री ए.के.पाण्डे उपस्थित हुए और उन्हें सुना गया । इस सुनवाई के समय अपीलकर्ता उपस्थित नहीं थे । प्रभारी लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी, अपीलीय अधिकारी ने बताया कि बाबई थाने में अपीलकर्ता का कोई आवेदन प्राप्त होना नहीं पाया जाता है । बाद में लगभग 12.30 बजे अपीलकर्ता उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि बस में विलंब होने के कारण उन्हें देर हुई है इसलिए उन्हें सुन लिया जाए । उन्हें इस प्रकरण में सुना गया । उन्होंने तहसीलदार बाबई द्वारा दिनांक 29.9.2004 को पारित उस आदेश पर ध्यान आकर्षित किया जिसमें श्री रमेश कुमार, श्री गोकुल प्रसाद एवं श्री शिवप्रसाद वल्द बद्री प्रसाद को यह निर्देश दिए गए हैं कि निजी जेटपंप का निर्माण कार्य न्यायालय के अग्रिम आदेश तक बंद किया जाए । यह भी आदेशित किया गया था कि इस आदेश की अवहेलना करने पर एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाएगी । इस आदेश की प्रति थाना प्रभारी बाबई को भी सूचना के लिए भेजी गई है ।

4. इस सम्पूर्ण प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने कोई आवेदन पत्र थाना बाबई में प्रस्तुत नहीं किया था जिसपर कार्यवाही की जानकारी उनके द्वारा मांगी गई है । तहसीलदार के जिस आदेश की प्रति पुलिस थाना बाबई को भेजी गई थी, वह थाना बाबई को सूचना के लिए भेजी गई है और उसमें किसी प्रकार की कार्यवाही की अपेक्षा नहीं की गई है । अपीलकर्ता ने कोई शिकायत बाबई थाने में प्रस्तुत नहीं की है जिस पर की गई कार्यवाही की जानकारी दी जा सके । अतः यह अपील अमान्य करते हुए निरस्त की जाती है ।

(टी0एन0श्रीवास्तव)

मुख्यसूचनाआयुक्त